



न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर,  
~~राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.~~

R-298-III/14

मनोज कुमार पिता सुंदरलाल पत्तरीजा,  
 निवासी वार्ड क्र. 10 रहली, तह. रहली, जिला सागर

—पुनरीक्षणकर्ता

- विरुद्ध -

श्रीमति स्वदेश पति गिरीश कुमार अरोरा,  
 पुत्री स्व. रामलुभाया, निवासी ग्वालियर,  
 द्वारा-कारंदा- दरयावसिंह तनय गंधर्वासिंह ठाकुर,  
 निवासी मोठारखुर्द, तहसील रहली, जिला सागर म.प्र.

— प्रत्यर्थी

" राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. "

"पुनरीक्षणकर्ता, विद्वान प्रथम अमील न्यायालय, श्रीमान  
 अनुविभागीय अधिकारी-रहली, तहसील रहली, जिला सागर  
 द्वारा राजस्व अमील क्रमांक 5ए/6- वर्ष 1912-13 पर पारित  
 आदेश दिनांक 6.1.2014 से पीडित होकर निम्न पुनरीक्षण  
 निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है।"

II प्रकरण का संक्षेप II

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि, प्रत्यर्थी  
 ने राजस्व प्रकरण क्र. 20ख/ 6- वर्ष 2005-06 पर विद्वान  
 निम्न न्यायालय श्रीमान तहसीलदार रहली द्वारा पारित आदेश  
 दि. 29.7.2009 के विरुद्ध प्रथम राजस्व अमील क्र. 5ए/6-12.13.  
 विद्वान प्रथम अमील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रहली  
 तहसील रहली, जिला सागर के समक्ष दिनांक 16.10.12 को प्रस्तुत  
 की थी।

2. यह कि, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत यह अमील आदेश

श्री ख. के. व. ज. प्र.  
 17.1.14

21-9-2014  
 9-9-2014

22-1-14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

9

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R. 208/111/14... जिला... सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>15-10-14</p> <p>13-12-14</p> <p>लोड कराला</p>	<p>कार्यवाही कर... का... के माफ...                  प्र... कर... के माफ...                  15.10.2014</p> <p>आवेदक मनोज कुमार अपने अधिकार पत्र                  शी- 208 के वजापत्री के साथ उपर्युक्त। आवेदक                  शी- 208 के वजापत्री के साथ उपर्युक्त शी- 208.                  संगर उपर्युक्त। वही पत्री में राजीनामा आवेदन                  प्रस्तुत किया। आवेदक ने कहा कि राजीनामा                  शी- 208 के माफ... है। आवेदक का पता है कि                  आवेदक के नामांतरण पर माफ... नहीं है। प्रकरण                  में आज प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर                  प्रकरण समाप्त किया जाता है। राजीनामा                  आवेदन आदेश का अंत रहेगा प्रकरण समाप्त                  किया है।</p>	<p>(मावेदक)</p> <p><i>Moj Kum</i></p> <p>मनोज कुमार                  (आवेदक)                  राजीनामा स्वीकार                  है।</p> <p><i>Sudesh Arora</i></p> <p>सुदेश अरोर                  15.10.2014</p> <p>गवाह:</p> <p><i>Shri... Arora</i></p> <p>श्री... अरोर</p> <p><i>Rosanyar</i>                  15/10/14</p> <p><i>Sudesh Arora</i>                  13.12.14</p> <p><i>Moj Kum</i>                  13/12/2014</p>
	<p><i>(अर. सं. रा. सं.)</i>                  अर. सं.                  5 1</p> <p><i>(रा. सं. रा. सं.)</i>                  अर. सं. 2</p> <p><i>(श्री... अरोर)</i>                  अर. सं.</p>	<p><i>Rosanyar</i>                  13/12/14</p>